

Section-4(1)(b)(xv) सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधा का विवरण

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत, सूचना प्राप्त करने, सूचना की अप्राप्ति और प्राप्त सूचना की त्रुटियों को दृष्टिगत रख कर निगम की ओर से मुख्यालय एवं प्रमंडलीय कार्यालय के स्तर पर लोक सूचना पदाधिकारी एवं अपीलीय पदाधिकारी का मनोनयन किया गया है। इसकी सूची Section-4(1)(b)(xvi) में प्रदर्शित है एवं बि०रा०पु०नि०लि०, पटना के परिसर में एक पुस्तकालय का प्रावधान है जिसमें दैनिक समाचार पत्र, असैनिक अभियंत्रण से संबंधित किताबें एवं मैगज़ीन उपलब्ध है।